राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.27(18)न्याय/2016/पार्ट जयपुर, दिनांक 15.09.2022

::प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति::

अधीनस्थ न्यायालयों में वाहन चालकों के 10 रिक्त पदों के विरूद्ध दिनांक 31.03.2023 तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, दोनों में से जो भी पहले हो, के लिए निम्नांकित वरीयता क्रम में संविदा सेवाऐं लिये जाने की सहमति एतत्द्वारा प्रदान की जाती है:–

1. कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 10.02.2018 के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्त कार्मिक।
2. विपरीत प्रतिनियुक्ति पर।
3. REXCO के माध्यम से भूतपूर्व सैनिक।
4. भूतपूर्व सैनिक नहीं उपलब्ध होने की स्थिति में होमगार्ड संविदा सेवाएं

विभाग उक्त संविदा सेवाऐं लेते समय तत्संबंधी नियमों/निर्धारित प्रक्रियाओं एवं इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के प्रावधानों की पूर्ण पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त स्वीकृति वित्त व्यय–5 विभाग की आई.डी. संख्या 102205291 दिनांक 14.09.2022 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को उनके पत्र कमांक जी/आई/ए–4(i)(a)/130/13/968 दिनांक 03.09.2022 के कम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (ब्रजट)/(व्यय–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. कार्यालय निवासी, लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।

15.9.22

संयुक्त शासन सचिव

D:\accts data 2022-23\Letters 2022-23.docx97